प्रेष विज्ञाप्ति

कृपया अवगत कराना है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के कम में 10 वर्षों से अधिक पुरानें डीजल वाहन/मशीनों का उपयोग एन.सी.आर में प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसी कम में जनस्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कूडें के निस्तारण हेतु ट्रैक्टरों/ट्रॉली का उपयोग किया जा रहा है उक्त ट्रैक्टरों के 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण जनस्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कूडें के निस्तारण हेतु एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुये ट्रैक्टरों/ट्रॉली के स्थान पर जैम पोर्टल से 23 नग (अशोक लिलेड) "दोस्त" सी.एन.जी. गारबेज टिपर का कय विद्युत/यॉत्रिकी–(प्रथम) के माध्यम से किये गये है। आज दिनांक–07.12.2022 को श्रीमति रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा इंद्रिरा गांधी कला केन्द्र से उक्त मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त समारोह मे श्री एस.पी. सिंह, उप महाप्रबधक(जन स्वास्थ्य विभाग),श्री राजेश कुमार, उप महाप्रबधक (विद्युत/यॉत्रिकी) , श्री विजय रावल, वरिष्ठ प्रबन्धक (जन स्वास्थ्य विभाग खण्ड–प्रथम),श्री सत्येन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक(विद्युत/यॉत्रिकी–प्रथम), श्री आर.के. शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक (जन स्वास्थ्य विभाग खण्ड–द्वितीय) इत्यादि अधिकारी उपस्थित रहे।

सी.एन.जी. गारबेज टिपर की खासियत यह है कि छोटी–छोटी गलियों एंव ग्रामों/सैक्टरो से सूखे एंव गीले कूडें को दो भागों में उठाकर डम्पिंग ग्राउण्ड तक आसानी से पहुॅचाने में सक्षम है साथ ही ट्रैक्टरों/ट्रॉली जो डीजल पर संचालित है जिसकी वैधता 10 वर्ष थी उक्त के स्थान पर कय किये गये टिपर सी.एन.जी पर संचालित मशीन है जिसकी वैधता 15 वर्ष है एंव वायु प्रदुषण भी कम होगा, ईधंन की खपत भी कम होगी सी.एन.जी मशीन होने के कारण प्राधिकरण को वित्तीय लाभ भी होगा। अतः प्रत्येक (अशोक लिलेड) "दोस्त" सी.एन.जी. गारबेज टिपर को कय करने की लागत रू0 **9,97,647.00** है अर्थात 23 नग (अशोक लिलेड) "दोस्त" सी.एन.जी. गारबेज टिपर को कय करने की कुल लागत रू0 **2,29,45,881.00** है।